

शब्दावली



## शब्दावली

<b>वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट)</b>	संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय के विवरणों को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखवाएगा, जिसे “वार्षिक वित्तीय विवरण” माना जाता है। प्राप्ति तथा संवितरणों को तीन भागों के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है अर्थात् (i) संचित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखा
<b>बजट-सार</b>	यह दस्तावेज संक्षेप में, प्राप्तियों तथा संवितरणों के साथ-साथ कर राजस्वों, अन्य प्राप्तियों के विस्तृत विवरण तथा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरित संसाधनों के विवरण दर्शाता है। यह दस्तावेज सरकार के घाटे को भी दर्शाता है।
<b>पूंजीगत व्यय</b>	पूंजीगत प्रकृति के व्यय को विस्तृत रूप से या तो वस्तु एवं स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसंपत्ति में वृद्धि करने या आवर्ती देयताओं में कमी करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया।
<b>पूंजीगत प्राप्ति</b>	पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा प्रस्तुत कर्जे, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार तथा विदेशी सरकारों/संस्थाओं से लिया गया ऋण शामिल है। यह सरकार द्वारा प्रदान किये गये ऋणों की वसूली तथा पीएसयू में सरकारी अंश के विनिवेश से वसूल प्राप्ति सहित सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री प्रप्तियों को भी शामिल करता है।
<b>भारत की संचित निधि</b>	संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्वों, ट्रेजरी बिल जारी करके प्रस्तुत सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त धन एक संचित निधि शीर्षक “भारत की संचित निधि” की रचना करेगा।
<b>प्रभावी राजस्व घाटा</b>	प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय (राजस्व लेखे पर) तथा राजस्व प्राप्ति में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान को घटाकर

	जिसे राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, के अंतर के रूप में व्याख्यापित किया जाता है।
<b>बाह्य ऋण</b>	सरकार द्वारा, अधिकांशतः विदेशी मुद्रा में विदेशी सरकारों तथा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से किए गए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण समझौते।
<b>वित्त लेखे</b>	वित्त लेखे राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण के लेखे तथा लेखाओं में दर्ज शेषों से परिकल्पित देयताओं एवं परिसम्पत्तियों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ प्राप्ति एवं संवितरण लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं।
<b>वित्त विधेयक</b>	वित्त विधेयक एक धन विधेयक है जो संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रस्तुत होता है, जो अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में प्रस्तावित करों को लगाने, समाप्त करने, छूट, परिवर्तन या विनियमन के विवरण से संबंधित है। एक बार वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा सहमति दे दी जाती है, वित्त अधिनियम बन जाता है।
<b>राजकोषीय घाटा</b>	एक वित्तीय वर्ष के दौरान, निधि में कुल प्राप्तियों पर ऋणों के पुनर्भुगतान को छोड़कर ऋण प्राप्तियों को छोड़कर भारत की संचित निधि से कुल संवितरणों का आधिक्य।
<b>राजकोषीय नीति</b>	सरकार की राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व को बढ़ाने, सरकारी व्यय करने, वित्तीय तथा संसाधन प्रबंधन उत्तरदायित्व कितना अच्छी तरह से संचालित हो रहा है, को सुनिश्चित करने से संबंधित है।
<b>सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)</b>	सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), निश्चित समय अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं तथा सेवाओं का, सामान्यतया वार्षिक आधार पर परिकल्पित, मौद्रिक मूल्य है। यह सभी निजी तथा सरकारी उपयोग, सरकारी परिव्यय, निवेश तथा आयात घटा निर्यात, जो परिभाषित क्षेत्र के भीतर हैं, को शामिल करता है। जीडीपी को निर्दिष्ट आधार वर्ष और वर्तमान मूल्य (जिसमें मुद्रास्फिति के कारण मूल्यों में परिवर्तन या समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि शामिल है) के भी संदर्भ में स्थिर मूल्यों पर परिकल्पित किया जाता है।
<b>गारंटियाँ</b>	संविधान का अनुच्छेद 292 ऐसी समय सीमा, यदि कोई हो, संसद द्वारा निर्धारित किया जाए, के भीतर भारत की संचित

	निधि की प्रतिभूति पर गारंटी प्रदान करने हेतु संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार करती है।
<b>आंतरिक ऋण</b>	आंतरिक ऋण मे भारत मे लिए गए ऋण शामिल है। यह सीमित है कि लिए गए ऋण भारत की संचित निधि मे क्रेडिट होंगे।
<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	इसमे संघ सरकार द्वारा राज्य तथा यूटी सरकारों, विदेशी सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र उपकर्मों, सरकारी सेवकों आदि को दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।
<b>लोक लेखा</b>	संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी और से प्राप्त सभी धन, उसको छोड़कर जिसे संचित निधि मे शामिल किया गया है, को लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है। इन धनों के संबंध मे सरकार बैंकर की तरह कार्य करती है।
<b>लोक ऋण</b>	सरकार द्वारा आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से लिया गया ऋण जिसे भारत की संचित निधि मे ग्रहण किया जाता है को लोक ऋण के रूप मे परिभाषित किया जाता है।
<b>राजस्व घाटा</b>	राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय का आधिक्य।
<b>राजस्व व्यय</b>	अनुरक्षण, मरम्मत, देखभाल तथा संचालन खर्चों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों को चालू हालत मे बनाये रखने के लिए आवश्यक है तथा संगठन को चलाने के लिए दिन प्रति दिन के खर्चे भी स्थापना तथा प्रशासनिक व्ययों को शामिल करते हुए को राजस्व व्यय के रूप मे वर्गीकृत किया जाता है। राज्य/यूटी सरकार तथा अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदान राजस्व व्यय के रूप मे माने जाते हैं, भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन के लिए हों।
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>	इनमे सरकार द्वारा लगाए गए करों एवं चुंगियो, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश, सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।